अपील सूचना अधिकार संख्या 61/2017 अनवानी काका सिंह पुत्र बचनसिंह मार्फत त्रिलोक चंद चायल एडवोकेट, वार्ड न0 5, इंदिरा कालोनी, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर

25–10–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री काका सिंह उपस्थित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर के प्रतिनिधि श्री आदराम ऑफिस कानूनगो उपस्थित है उनके द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) का प्रतिवेदन सं0 3699 दिनांक 17.10.17 एवं 3745 दि0 24.10.17 प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर के प्रतिनिधि को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर के प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई 3 बिन्दुओ की सूचना पत्र संख्या 3699 दिनांक 17.10.17 द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री काका सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. सादुलशहर राजस्व तहसील क्षेत्र के चक 41 पीटीपी, 43 पीटीपी, 14 एसडीएस, 15 एसडीएस, 12 एसडीएस व 13 एसडीएस में नाजर सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जट सिख एंवम जंगीरसिह पुत्र श्री इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी गांव दुदा खिचड ग्राम पंचायत केरा चक पंचायत समिति व तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के नाम से नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड माल पटवार दर्ज है। उक्त व्यक्तियों के नाम से दर्ज कृषि भूमि पर वर्तमान में किस व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही है एवम कौन किस हैसियत से काबिज काश्त है? कृपया राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रमाणित सूचना दें।
2. उक्त राजस्व चकों में जो भी व्यक्ति उक्त नहरी कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है, क्या उनके द्वारा उक्त नहरी कृषि भूमि का लगान या मामला या आबियाना राज्य सरकार को जमा करवाया जाता है अथवा नही? यदि कोई लगान या आबियाना सरकारी कोष में जमा करवाया जाता है तो किस द्वारा जमा करवाया जाता है? लगान जमा कराने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम बतावे। यदि आज तक कोई लगान राजकोष में जमा नही करवाया गया है तो उक्त चकों की कृषि भूमि पर काबिज काश्त लोगो पर राजस्व विभाग द्वारा क्या–क्या कार्यवाही कब–कब की गई है? कृपया प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाये।
3. उक्त अलग–अलग राजस्व चकों में दर्ज अलग–अलग नहरी कृषि भूमि में ईन्तकाल करने की कार्यवाही आपके आदेशों द्वारा अथवा उक्त अलग–अलग राजस्व चकों मे नियुक्त राजस्व पटवारियों द्वारा कब–कब व किन व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम से की गई है? क्या उक्त चकों ईन्तकाल हो चुका है? यदि हां तो किसके नाम कब–कब किया गया, कृपया चक वार, व्यक्ति का नाम पिता का नाम जिसके नाम ईन्तकाल दर्ज करवाया गया, ईन्तकाल दर्ज करने की दिनांक सहित प्रमाणित सूचना प्रदान करे।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 06.06.17 के द्वारा चाही गई 3 बिन्दुओ की सूचना निर्धारित समय अवधि व्यतीत हो जाने पर भी उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित की जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र पर तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर ने अपना प्रतिवेदन सं0 3745 दिनांक 24.10.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई 3 बिन्दुओ की सूचना पत्र सं0 3699 दिनांक 17.10.2017 के द्वारा निम्नानुसार उपलब्ध करवाई गई है:-

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र में चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्न प्रकार है।-
>
> 1. तहसील सादुलशहर के चक 13 एसडीएम, 12 एसडीएम की पर्चा खतौनी एवं चक 41 पीटीपी, 14 एसडीएस की जमाबन्दीयां जारी की नाजरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह व जंगीरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति जटसिख सा. दुदाखीचड वगैरह आपको दिनांक 12.07.2016 को एवंम नकल जमाबन्दी चक 41 पीटीपी, 12 एसडीएस की चाही गई नकल दिनांक 10.11.2016 को पूर्व में जारी की जा चुकी है। राजस्व विभाग द्वारा कृषि भूमि के कब्जा काश्त सम्बन्धी रिकार्ड का संधारण नही किया जाता है।
>
> 2. बिन्दु सं. 2 के सम्बन्ध में उक्त चकों में संयुक्त खातेदारी में जोगेन्द्रसिंह पुत्र निरंजनसिंह, मेजरसिंह पुत्र करतारसिंह, बख्तावरसिंह पुत्र पूर्णसिंह, लाभसिंह पुत्र गुरदयालसिंह जाति जटसिख सा. दुदाखीचड आदि के द्वारा राजस्व लगान जमां करवाया गया है। चक 12 एसडीएम की रसीदात संख्या 19, 20, 21 चक 14 एसडीएस रसीद सं. 29 व 37 की नकल संलग्न है।
>
> 3. बिन्दु सं. 3 में चाही गई सूचना के सम्बन्ध में चक 12 एसडीएम ई.न. 5/14.08.74, 77/20.09.78, 81, 106/07.12.82, 172 व 41 पीटीपी ई.न. 57/20.03.89 तथा चक 14 एसडीएस के ई. न. 33, 34, 35 व 141 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित चित्रप्रतियां संलग्न है।

अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 06.06.17 के अवलोकन से स्पष्ट है अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निश्चित व स्पष्ट नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है फिर भी तहसीलदार, सादुलशहर ने अपने पत्रांक 3699 दिनांक 17.10.2017 द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचना उपलब्ध करवा दी गई है जिसका अपीलार्थी द्वारा कोई विरोध भी नही किया गया है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। तहसीलदार, सादुलशहर को हिदायत की जाती है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रो का निस्तारण नियत अवधि में ही किया जाना चाहिए। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)